2026:AHC:210375

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 43040 of 2026

Babar Ali

.....Applicant(s)

Versus

State Of U.P.And Another

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Anil Kumar Shukla
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

Court No. - 73

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 13/2025 में अन्तर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/5 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 एवं धारा 4/21 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 , थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर, में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 24.09.2025 जिसमें चीफ जूडीसियल मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा प्रेषित आरोपपत्र दिनांकित 24.09.2025 की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने हेतु योजित किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) धारा 303(2) बी.एन.एस., 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम, 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधि. 1984। उचित विवेचना के पश्चात, विवेचना अधिकारी ने दिनांक 24.07.2025 को आवेदक के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/5 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 एवं धारा 4/21 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, के तहत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 24.09.2025 द्वारा उक्त धाराओं के अंतर्गत संज्ञान ले लिया। आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि अधिनियम, 1957 की धारा 22 के अनुसार, न्यायालय अधिनियम, 1957 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में शिकायत (परिवाद) न की गई हो। यह भी तर्क दिया गया है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र के आधार पर संज्ञान तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज न की गई हो, और अधिक से अधिक दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 2(d) के अनुसार, यदि अधिकृत व्यक्ति द्वारा

पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो उसे शिकायत माना जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है, जिनमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि पुलिस रिपोर्ट (आरोप-पत्र) के आधार पर संज्ञान लेना अधिनियम, 1957 की धारा 22 द्वारा वर्जित है, और अधिनियम, 1957 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायत के साथ आरोप-पत्र या पुलिस रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है। अग्रिम आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक प्रश्नगत गाड़ियों के ड्राईवर मात्र हैं तथा उनके द्वारा उक्त आरोपित धाराओं का अपराध कारित नहीं किया गया है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 24.09.2025 के आक्षेपित आदेश में जहाँ तक यह अअन्तर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/5 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 एवं धारा 4/21 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 से संबंधित है, कोई अवैधता नहीं है। हालाँकि, वे अधिनियम, 1957 और नियमावली, 1963 में निहित प्रावधानों पर विवाद नहीं कर सके।

5. मैंने पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. संदर्भ के लिए अधिनियम, 1957 की धारा 22 और उत्तर प्रदेश उप-खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 (इसके बाद 'नियमावली, 1963') के नियम 76 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"22. अपराधों का संज्ञान: कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में शिकायत न की गई हो।

76. अपराधों का संज्ञान: (1) कोई भी न्यायालय इन नियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि जिला अधिकारी या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की लिखित शिकायत न की गई हो।

(2) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर (नीचे का) कोई भी न्यायालय इन नियमों के तहत किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।"

7.

अधिनियम, 1957 की पूर्वोक्त धारा 22 अत्यंत स्पष्ट है जो यह प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय अधिनियम, 1957 के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, और नियमावली, 1963 का नियम 76 भी यह प्रावधान करता है कि कोई भी न्यायालय नियमावली, 1963 के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत दर्ज न की गई हो।

8. कंवर पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 14 SCC 331 में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय शीर्ष अदालत ने यह व्यवस्था दी कि मजिस्ट्रेट आरोप-पत्र के आधार पर केवल भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराधों के लिए संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन अधिनियम, 1957 के तहत अपराध का संज्ञान केवल अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर ही लिया जा सकता है। इस निर्णय के पैराग्राफ 12 को निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:-

"12. पूर्वोक्त चर्चा के आलोक में, हम विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 379 और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत लिए गए संज्ञान और अभियोजन को रद्द करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 4 के साथ पठित धारा 21 के तहत अभियोजन और संज्ञान प्राधिकरण (अधिकृति) के अभाव में वैध और न्यायसंगत नहीं होगा। इसके अलावा, हमारे द्वारा विधिक मुद्दे को तय करने और उसका उत्तर देने में की गई टिप्पणियों को शिकायत में लगाए गए तथ्यात्मक आरोपों पर निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। विचारण न्यायालय स्वतंत्र रूप से तथ्यात्मक आरोपों पर अपना दिमाग लगाएगा और कानून के अनुसार आरोप तय करेगा। उपर्युक्त टिप्पणियों के प्रकाश में, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि हमने IPC की धारा 379 और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के अभियोजन और संज्ञान को बरकरार रखा है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

9. सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः जयंत एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2021) 2 SCC 670 के निर्णय में यह व्यवस्था दी कि यदि पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन अधिनियम, 1957 के तहत अपराध के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट उस आरोप-पत्र के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकते। और यह आगे देखा गया कि मजिस्ट्रेट संज्ञान केवल तभी ले सकते हैं जब अधिनियम, 1957 के तहत अपराध के लिए उस आरोप-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज की गई हो। उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 13.3, 13.4 और 13.5 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"13.3. IPC के तहत अपराध कारित होने पर, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट MMDR अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लेने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की जाने वाली शिकायत की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उक्त अपराध का संज्ञान ले सकते हैं।

13.4. यह कि MMDR अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में, जब कोई मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156(3) के तहत आदेश पारित करता है और संबंधित थाना प्रभारी/SHO को अधिनियम और नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अपराध मामला/FIR दर्ज करने का निर्देश देता है और तत्पश्चात विवेचना के बाद थाना प्रभारी/विवेचना अधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ-साथ MMDR अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित संबंधित अधिकृत अधिकारी को भेजा जा सकता है और उसके बाद संबंधित अधिकृत अधिकारी विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है और उसके बाद विद्वान मजिस्ट्रेट के लिए नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद संज्ञान लेना, MMDR अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रक्रिया/समन जारी करना खुला होगा और उस चरण में यह कहा जा सकता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है।

13.5. ऐसे मामले में जहाँ उल्लंघनकर्ता को MMDR अधिनियम की धारा 23-A की उप-धारा (1) के अनुसार शमन शुल्क (पेनल्टी) के भुगतान पर अपराधों का शमन (कंपाउंड) करने की अनुमति दी जाती है, धारा 23-A की उप-धारा (2) पर विचार करते हुए, इस प्रकार शमन किए गए MMDR अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं होगी। हालाँकि, धारा 23-A की उप-धारा (2) के तहत रोक IPC के तहत अपराधों, जैसे कि धारा 379 और 414 IPC के लिए किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी और उसे आगे बढ़ाया जाएगा।"

10. उपरोक्त विधिक स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 1957 या नियमावली, 1963 के तहत अपराध के लिए संबंधित न्यायालय केवल अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर ही संज्ञान ले सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट ने

पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/5 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 एवं धारा 4/21 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत दाखिल आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया है।

11. अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार पूर्वोक्त संज्ञान आदेश अधिनियम, 1957 की धारा 22 और नियमावली, 1963 द्वारा वर्जित है, इसलिए, केवल अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 और नियमावली, 1963 के नियम के तहत अपराधों की सीमा तक इसे अभिखण्डित किए जाने योग्य है।

12. तद्नुसार, उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, वर्तमान आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा मात्र खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 और खान एवं खनिज (विकास एवं निवारण अधिनियम), 1963 के नियम के तहत अपराधों के लिए कार्यवाही को अभिखण्डित किया जाता है। हालाँकि, यदि अधिकृत अधिकारी विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट के साथ शिकायत दर्ज करता है, तो संबंधित प्राधिकारी विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं।

13. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध अंतर्गत धारा 303(2) एवं धारा 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 6, 2026
S.Mishra

Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad